उत्तरांचल सरकार

वित्त विभाग–5

संख्या 1649 /वि0अनु0–5/व्या0क0/2002

देहरादूनः दिनांकः 16–5– 2002

विज्ञप्ति

चूँकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है;

अतएवं अब, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) के खण्ड (ख) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल निर्देश देते हैं कि दिनांक 09–11–2000 से मेसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा नीचे अनुसूची में उल्लिखित माल के अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान भारत सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों के विभागों, निगमों, उपक्रमों को बिक्री के विक्रयधन के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम के अधीन देय कर की गणना, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि विक्रेता व्यापारी अपने विक्रय धन की वार्षिक विवरणी के साथ कर निर्धारक प्राधिकारी को सम्यक रूप से भरा हुआ और उसके द्वारा हस्ताक्षरित निम्नलिखित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें, जिसमें उपर्युक्त प्रत्येक क्रेता को की गई उपर्युक्त माल की बिक्री की मास–वार विशिष्टयाँ इंगित हों, चार प्रतिशत की दर से की जाएगी।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उन आदेशों और बिलों द्वारा आच्छादित माल, जनकी विशिष्टयाँ नीचे दी गई है, जिनका मूल्य.....रूपये.....(शब्दों में) है, हमारे द्वारा..... को मास .....20.....में,.....(क्रेता का नाम और पता)..... .....को बेचा गया है और यह माल क्रेता द्वारा उर्जा के उत्पादन या वितरण में प्रयोग के लिए आशयित है।

प्रारूप

क्र0स0	आदेश संख्या और दिनांक	बिल का ब्यौरा		
		संख्या	दिनांक	धनराशि

(विक्रेता व्यापारी का नाम और पता)

दिनांक.....

हस्ताक्षर

व्यापारी के सम्बन्ध में प्रास्थिति

अनुसूची

कोई माल, जिसकी बिक्री पर, केन्द्रीय विक्रय–कर अधिनिमय,1956 की धारा 8 की उपधारा (2–क) लागू नहीं होती हो और जिसका उपयोग ऐसे विभाग/ निगम द्वारा विद्युत उर्जा के उत्पादन या के वितरण में किया जाना आशयित हो।

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव वित्त